बिल का सारांश

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021

- आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अगस्त, 2021 को राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया। बिल संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करता है। संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों (एसटीज़) को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संविधान संसद को अधिसूचित एसटीज़ की सूची में बदलाव करने की अनुमति देता है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए इस बिल को पेश किया गया है।
- बिल अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित एसटीज़ की सूची से अबोर जनजाति को हटाता है।

  इसके अतिरिक्त यह कुछ जनजातियों के स्थान पर अन्य जनजातियों को रखता है (देखें तालिका 1)।

तालिका 1: बिल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में एसटीज़ की सूची में प्रस्तावित बदलाव

मूल सूची	बिल के अंतर्गत प्रस्तावित बदलाव
अबोर	सूची से हटाई गई
खाम्पती	ताई खाम्ती
मिश्मी, इदु और तारोन	मिश्मी-कामन (मिजु मिश्मी), इदु (मिश्मी) और तारोन (दिगारु मिश्मी)
मोम्बा	मोन्पा, मेंबा, सतरंग और सोरालांग (मिजी)
किन्हीं नागा जनजातियों	नोक्ते, तंगसा, तुत्सा और वान्चो

Sources: The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2021; PRS.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

श्रुति गुप्ता
shruti@prsindia.org

3 अगस्त, 2021